9/12/025

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/117

1. रामचन्द्र आत्मज आनन्दीलाल जाति धाकड़
2. धन्नालाल आत्मज मथुरालाल जाति लुहार निवासी ग्राम हरीपुरा मांझी तहसील कनवास जिला कोटा

––अपीलांटगण

बनाम

1. मदनलाल पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड़
2. जगन्नाथ पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड़
3. गोरधन पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड़
   निवासीगण ग्राम हरीपुरा मांझी तहसील कनवास जिला कोटा
4. हेमकंवर पुत्री गंगाविशन पत्नी विद्यासागर जाति धाकड़ हाल निवासी बसन्त विहार, कोटा
5. गुली बाई पुत्री गंगाविशन पत्नी अनिल जाति धाकड़ निवासी ग्राम हरिपुरा मांझी तहसील कनवास जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री घनश्याम नागर अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 27.01.2026

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 06/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण ने मूलवाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम हरिपुरा मांझी पटवार हल्का हरिपुरा मांझी तहसील कनवास जिला कोटा (राज.) में खाता संख्या नई 137 के खसरा नं.

9/12/025

अपील संख्या 2025/117
रामचन्द्र बनाम मदनलाल

1006 की रकबा 1.08 है0 किस्म चाही प्रथम की आराजी स्थित है जी आबादी से लगवा ही स्थित है, जिसमे इस वर्ष हमने सरसों व गेहूं की फसल बो रखी है। प्रार्थना पत्र के पेरा नं. 1 में वर्णित आराजी मुख्य सड़क के पास स्थित है तथा यह सडक हरिपुरा मांझी से ग्राम चौमा को जोडती है तथा ट्रेक्टर, ट्रोली, बेलगाड़ी कृषि उपकरण इत्यादि लाते ले जाते है तथा हमारा सदैव का रास्ता यही है। प्रार्थना पत्र के पेरा नं. 2 में वर्णित आराजी व सडक के बीच खसरा नं. 826 की रकबा 0.06 है किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि है जिसमें होकर हम प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित आराजी में सदैव से आते जाते है। अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 अवैधानिक तरीके से उक्त वर्णित खसरा नं. 826 की रकबा 0.06 है गै.मु. रास्ता की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर अतिक्रमण कर कब्जा करने पर आमादा हो रहे है तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 जबरन पत्थर डालकर अतिक्रमण करने व नींमे खोदने की कोशिश कर रहे है तथा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने दिनांक 08.03.2017 को हम प्रार्थीगण को धमकी दी है कि इस रास्ते की भूमि पर जबरन अतिक्रमण करके रहेगें तथा तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 यदि अपने नाजाइज मंसूबो में कामयाब हो गये तो हम प्रार्थीगण की खाते एवं कब्जे काश्त की पेरा नं. 2 में वर्णित आराजी का रास्ता सदैव के लिए बंद हो जावेगा तथा हमारा खेत सदैव के लिए पडत रह जावेगा तथा हमार खेत खसरा नं0 1006 की उपयोगिता हमेशा के लिए समाप्त हो जावेगी तथा हमारे उक्त आराजी का फण्ट जो रास्ते से लगवा है तथा रोड पर सीधी अप्रोच है व सदैव के लिए समाप्त हो जावेगी, जिससे हम प्रार्थीगण को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में कभी नहीं की जा सकेंगी। हम प्रार्थीगण ने उक्त अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 द्वारा जबरन अवैधानिक तरीके से किये जा रहे अतिक्रमण की रिपोर्ट जिला कलेक्टर महोदय कोटा को दी जो जिला कलेक्टर महोदय ने तहसीलदार कनवास को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की लेकिन तहसीलदार कनवास अप्रार्थी क्रम 3 तहसीलदार कनवास ने आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जिससे अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के होसलें बुलन्द है तथा वह कहते फिर रहे है कि इस रास्ते की भूमि पर तो हम कब्जा करके रहेंगे। प्रार्थीगण हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते, जबकि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नही है। प्रार्थीगण का यह प्रथमदृष्टा केस पूर्णतया प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान है तथा यदि अप्रार्थी गण अपने मंसूबों में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में कभी नहीं की जा सकेंगी। प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा सादिर पारित फरमाई जावें कि

अप्रार्थी क्रम 1 व 2 माल ग्राम हरिपुरा मांझी पटवार हल्का हरिपुरा मांझी तहसील कनवास जिला कोटा (राज.) में स्थित प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे कास्त की खसरा नं. 1006 की रकबा 1.08 है०, आराजी के रास्ता की भूमि खसरा नं. 826 की रकबा 0.06 है० किस्म गै.मु. रास्ता पर जबरन ताकत के बल पर कोई अतिक्रमण नहीं करे और ना ही उस पर कोई निर्माण करे तथा प्रार्थीगण के खसरा नं. 826 के रास्ते के उपयोग व उपभोग आने–जाने व ट्रेक्टर, बेलगाडी व कृषि यंत्र लाने ले जाने में किसी प्रकार की कोई बांधा कारित नहीं करें और ना ही प्रार्थीगण के खाते की खसरा नं. 1006 की रकबा 1.08 है० आराजी की उपयोगिता समाप्त करें ऐसा न तो स्वयं करे और न ही अपने किन्हीं अर्जेन्टों से ऐसा करावें। अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो वह भी प्रार्थीगण को प्रतिप्रार्थीगण से दिलवायें जावें।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2024 को प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद मोके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 से व्यथित होकर अपीलांट अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा में यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 निरस्त फरमाया जावे।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपीलांट की ओर से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को व प्रार्थीगण के वकील साहब को बिना सुने व जानकारी के आदेश प्रदान किया है उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.04.25 को प्रार्थीगण के वकील साहब रेवतीरमण जी द्वारा पत्रावली देखकर बताया कि प्रकरण मे स्थगन आदेश जारी हो रहा है तब सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर नकल का आवेदन दिनांक 09.04.25 को कर दिनांक 15. 04.25 को नकल प्राप्त की तत्पश्चात् विधिक राय लेकर, पैसो की व्यवस्था कर जानकारी की तिथी से अवधि मध्य अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण गरीब, ग्रामीण अशिक्षित व्यक्ति है। न्यायहित मे उदारता का रूख अपनाकर अवधि कन्डोन किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा अपील पेश करने में जानबूझकर देरी नहीं की। देरी को माफ नहीं किया गया तो प्रार्थीगण न्याय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए न्याय हित में देरी को माफ किया जाना प्रार्थनीय है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अपीलान्ट के विरूद्ध स्वीकार करली जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को न तो कोई सूचना दिया और न सुनने से पूर्व अपीलान्ट के वकील साहब को ही बुलाया गया इस प्रकार अपीलान्ट को बिना सुने ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम हरिपुरा माझी स्थित खसरा नम्बर 826 रकबा 0.06 हेक्टर आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है जिसपर अपीलान्ट का लगभग पूर्वजो के समय से 100 वर्षों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी को खलियायान के रूप में उपयोग व उपभोग निरन्तर करते रहे है अपीलान्ट के ट्रेक्टर के सामान अनाज भरने के घर चद्दर अभी डाल स्खे है। विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर रखा है तथा मवेशियो को बांधकर अपीलान्ट स्वयं निवास करते है। उक्त तथ्यो को नजर अन्दाज कर रेस्पोडेन्ट का

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जो त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का कब्जा होने से अपीलान्ट के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन होने के बावजूद भी उक्त आराजी पर स्थगन आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। रेस्पोडेन्ट का प्रकरण न तो ठोस तथ्यों पर आधारित है न सुविधा का सन्तुलन ही रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है। किन्तु फिर भी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही आरबीट्रेरी रूप से अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट जो कि ताकतवर व प्रभावशाली व्यक्ति है जिनके प्रभाव में आकर अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा स्वयं के खाते की ग्राम हरिपुरा तहसील कनवास की खसरा संख्या 1006 की भूमि में आने जाने हेतु गैर मुमकिन रास्ते की खसरा संख्या 826 की भूमि के

उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि अप्रार्थीगण अपीलांटगण प्रश्नगत गैर मुमकिन रास्ते की खसरा संख्या 826 की भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा है, यदि प्रनश्गत रास्ते की भूमि पर अपीलांट अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण कियाव गया तो प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का रास्ता हमेशा के लिए बन्द हो जायेगा। इसके विपरीत अपीलांटगण का कथन है कि प्रश्नगत खसरा संख्या 826 की भूमि सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलांटगण विगत 100 वर्षो से निरन्तर काबिज है तथा प्रश्नगत खसरा संख्या 826 की भूमि पर अपीलांट द्वारा टीन शेड लगा रखे है जिसमें अपीलांट निवास करते है तथा मवेशी बांधते है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.06.2024 में अपीलांटगण को खसरा संख्या 826 रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि के मोके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पारित किए जाने का आदेश अंकित किया है। अपीलांटगण का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना तथा अपीलांटगण की बहस सुने बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.04.2017 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री अब्दुल वहीद अली द्वारा वकालतनामा पेश किए जाने का अंकन है तथा आदेशिका दिनांक 17.08.2017 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश होने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.10.2021 के अनुसार पत्रावली वास्ते जवाब सरकार में विचाराधीन थी तथा आगामी पेशी 27.01.2022 नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2022 की कोई आदेशिका कायम नहीं की जाकर पत्रावली सीधे ही दिनांक 08.11.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प ढोटी में रखी गई तथा आगामी पेशी 27.01.2022 नियत की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 27.01.2022 का कोई आदेश अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प ढोटी की दिनांक 08.11.2021 के पश्चात सीधे दिनांक 06.06.2024 की आदेशिका कायम किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में प्रतिवादी सरकार का जवाब पेश होने का कोई अंकन नहीं होकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27.06.2024 को नियत किए जाने का अंकन है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी सरकार के जवाब में विचाराधीन थी, प्रतिवादीगण अपीलांटगण की ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादी सरकार का जवाब लेकर तथा अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी

सरकार की बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो प्रतिवादी सरकार से कोई जवाब लिया गया और ना ही अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.06.2024 में भी केवल वादी एवं प्रतिवादी सरकार की उपस्थिति का अंकन है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण की अनुपस्थिति में अपीलांटगण को सुने बिना ही अपीलांटगण की अनुपस्थिति में प्रश्नगत निर्णय दिनांक 27.06.2024 पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी सरकार से जवाब लेकर तथा उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 06/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रतिवादी सरकार से जवाब लेकर तथा उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 09.03.2026 को स्वयं उपस्थित रहें।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/1/26
(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा